

10/9/20

प्राथमिक के वकील उपस्थित। पत्रावली को
अवलोकन किया। प्राथमिक ने यह मुन्सिफ की
प्राथमिक पत्र तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी
श्री संतोष प्रीता SDO बंधान के विरुद्ध प्रस्ताव
किया गया है। चूंकि श्री संतोष प्रीता SDO को
बंधान से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुका है। ऐसी
स्थिति में प्राथमिक को मुन्सिफ की प्राथमिक पत्र
पंभावहीन (Infructuous) हो जाने के कारण SDO
Stage पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
के लक्ष्य शुभा (बेम) बाद तत्कालीन वाद हो।

2
जिला कलेक्टर
अजमेर